

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1744

गुरुवार, 3 अगस्त, 2023/12 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पश्चिमी बंगाल के बारह शक्ति पीठों के बीच संपर्क

1744 श्रीमती शांता क्षत्री:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल में कुल बारह शक्ति पीठ हैं, जिन्हें हिंदुओं में सबसे पवित्र माना जाता है;
- (ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय सभी बारह शक्ति पीठों को जोड़ने वाले परिक्रमा पथ के निर्माण पर विचार कर रहा है;
- (ग) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में तीर्थयात्रियों के लिए सभी बारह शक्ति पीठों की व्यवस्थित रूप से यात्रा करने हेतु कोई निश्चित मार्ग नहीं है जिससे सभी शक्ति पीठों के लिए पर्यटन प्रभावित हो रहा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): पर्यटन अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकार (एसजी)/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन (यूटी) की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) अपनी 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत तीर्थस्थलों सहित पर्यटक गंतव्यों में अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों (सीए) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऊपर उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/केन्द्रीय एजेंसी के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, चल रही परियोजनाओं की स्थिति, पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि की शर्त पर इन्हें स्वीकृति दी जाती है।

प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल राज्य में प्रशाद योजना के अंतर्गत 'बेलूर मठ का विकास' और स्वदेश दर्शन के अंतर्गत बीच परिपथ 'उदयपुर-दीघा-शंकरपुर- ताजपुर- मंदारमणि-फ्रेजरगंज- बक्खलाई- हेनरी द्वीप' के विकास की परियोजना को अनुमोदित किया है जिसमें तीर्थस्थलों का विकास भी शामिल है तथापि इस मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में 12 शक्ति पीठों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
